न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश फलक

प्रथम– पासकल कुजूर .....बगैरह।

बनाम

द्वितीय – बंधु मिंज .....बगैरह

वाद सं0 एम0 33/2021

धारा 144 दं0 प्रं0 सं0

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1 18/2/22	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 14/2021 दिनांक 27/10/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष (1)** पासकल कुजूर उम्र 37 वर्ष (2) जोसेफ कुजूर उम्र 36 वर्ष (3) बेनेदिक कुजूर उम्र 40 वर्ष (4) संतोष कुजूर उम्र 45 वर्ष चारो पिता स्व0 बुनी कुजू सभी सा0 जामडांग थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष (1)** बंधु मिंज उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 बलकु उरांव (2) टुलू उरांव उम्र 47 वर्ष पिता स्व0 भादे उरांव (3) दशई मिंज उम्र 25 वर्ष पिता जयराम उरांव (4) मनोहर मिंज उम्र 26 वर्ष पिता स्व0 चमरा उरांव (5) बंधु उरांव उम्र 35 वर्ष पिता बुधु उरांव (6) राजू मिंज उम्र 18 वर्ष पिता बुधु उरांव (7) जुगल मिंज उम्र 70 वर्ष (8) अमरूस मिंज उम्र 60 वर्ष (9) सिलबानुसा मिंज उम्र 55 वर्ष तीनो पिता स्व0 सोमा उरांव (10) रंजित मिंज (11) आसीम मिंज उम्र 27 वर्ष पिता सिलबानुस मिंज सभी सा0 जामडांग थाना बसिया जिला गुमला के मौजा जामडांग के खाता सं0 –8 कुल प्लॉट सं0–5 रकबा 5.58 एकड़ भूमि चौहदी:– उत्तर में दीपक पहान पिता स्व0 मंगा पहान का खेत, दक्षिण मे सुकरा आईद पिता संगा आईंद का टांड, पूरब में जुगल मिंज पिता स्व0 सोमा उरांव का टांड , पश्चिम में दशई मिंज पिता जैरा मिंज का टांड से संबंधी भूमि को अपना दखल व हक करने को लेकर आपसी विवाद एंव तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है । फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना बसिया द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी बसिया के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, पालकोट से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:– **प्रथम पक्ष की ओर से लिखित जवाब एवं बहस दखिल किया है:–** उक्त वाद मौजा जामडांग के खाता नं0–8 कुल प्लॉट –42 कुल रकबा 62.98 डी0 भूमि है खतियानी रैयत बन्धु महतो वो एतवा महतो पेशरान बजूग महतो वो जैरा महतो वो सोमा महतो पेशरान बुधू महतो के नाम से दर्ज है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	

वंशावली इस प्रकार है:–

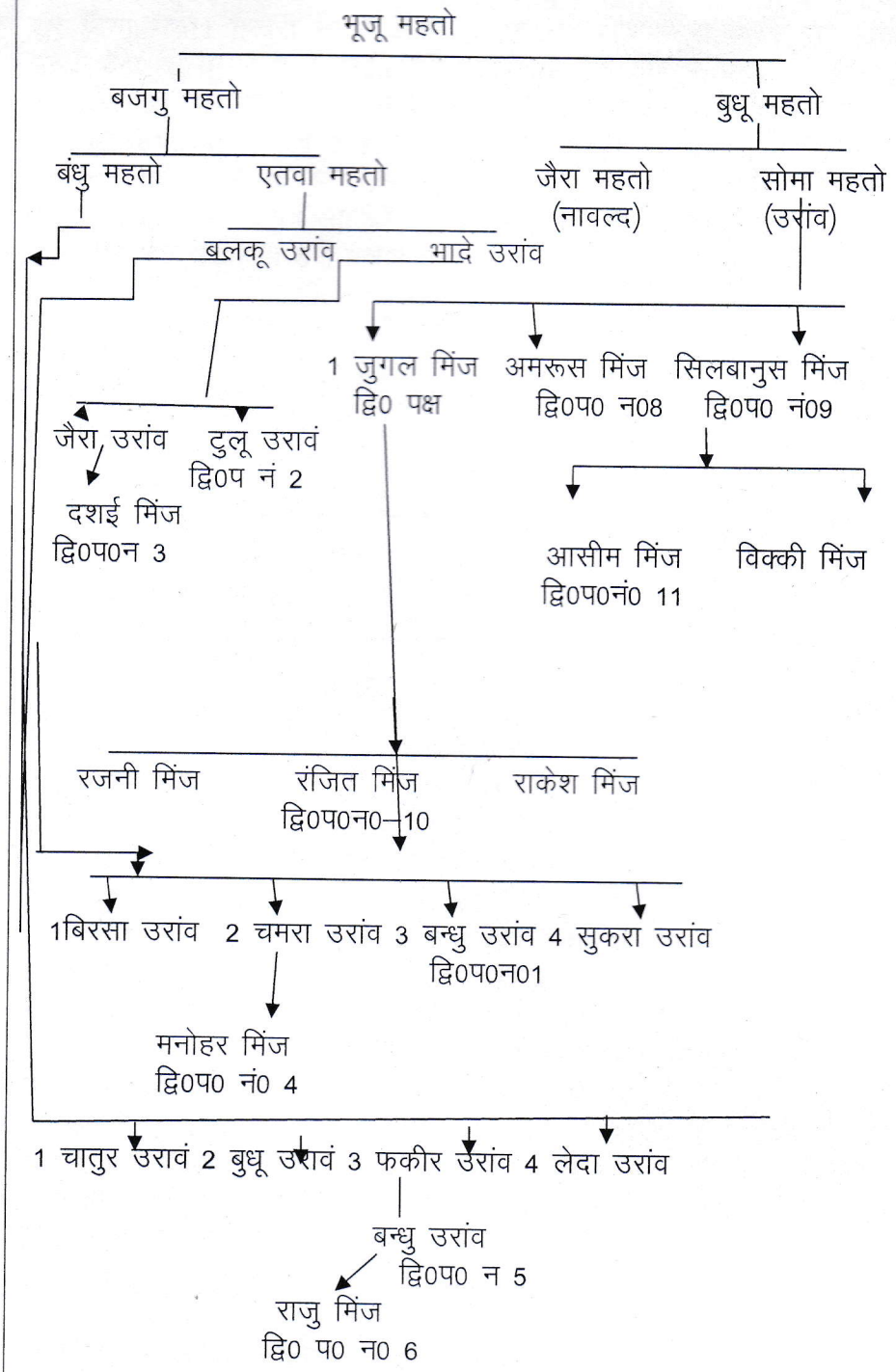

उपरोक्त वाद में प्रथम पक्ष के विरूद्ध में 144 दं0प्रं0सं0 के अन्तर्गत कानुनी कार्रवाई की गयी है न्याय संगत नहीं है। विवादित जमीन मौजा जामडांग थाना नं0 114 थाना बसिया जिला–गुमला के अन्दर खाता नं0–8 प्लॉट नं0 159,162,161,218 एवं 229 रकबा क्रमशः 0.63 डी0, 0.30डी0, 2.49डी0, 1.61डी0, एवं 0.55डी0 कुल रकबा 5.58 डी0 भूमि को विवादित बताया जा रहा है। विवादित जमीन जो खतियान बना है वह द्वितीय पक्ष का खांदानी जमीन है। लेकीन खतियानी रैयन बन्धु महतो वो एतवा महतो पेशरान बजगु महतो वा जैरा महतो वा सोमा वो सोमा महतो पेशरान बुधू महतो के नाम से दर्ज है। बजगु महतो वा बुधू महतो पेशरान भुजू महतो के वारिसान नहीं है और जीतन कुमारी भूजू महतो के एक मात्र बहन थी। उनके लिए घर दमाद लाया गया था जिसका नाम गन्दुरा उरांव था।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

गन्दुरा उरांव को घर दमाद लाने के बाद उनके कमाने खाने के लिए खतियानी रैयत खुशी राजी से ये लोग अपने हिस्से के जमीन को 5.58डी0 भूमि को घर दमाद गन्दुरा उरांव को दिये और पाँच साल तक रख कर काम धन्धा करवाने लगें बाद में जीतन कुमारी से शादी–विवाह कर दिया गया। गन्दुरा उरांव अपने जीवन भर खेती–बारी करते रहा उनके मरने के बाद उनके बेटा चिलगु उरांव उत्तराधिकारी बना। यह बात नाप से पहले की है।

सन्1932–33 में जमीन का नापी हुई थी उस वक्त उपरोक्त खाता नं0–8 प्लॉट नं0 159,162,161,218,229 एवं 312 रकबा क्रमशः 0.63डी0, 0.30डी0, 2.49डी0, 1.61डी0, 0.55डी0 एवं 0.02 डी0 भूमि के खतियान के कॉलम नं0–17 में बेयाईनी बकब्जे चिलगु उरांव वल्द गन्दुरा उरांव कौम–उरांव साकिन देह 20 बरम जबानी दर्ज है।

जिसका वंशावली इस प्रकार है।

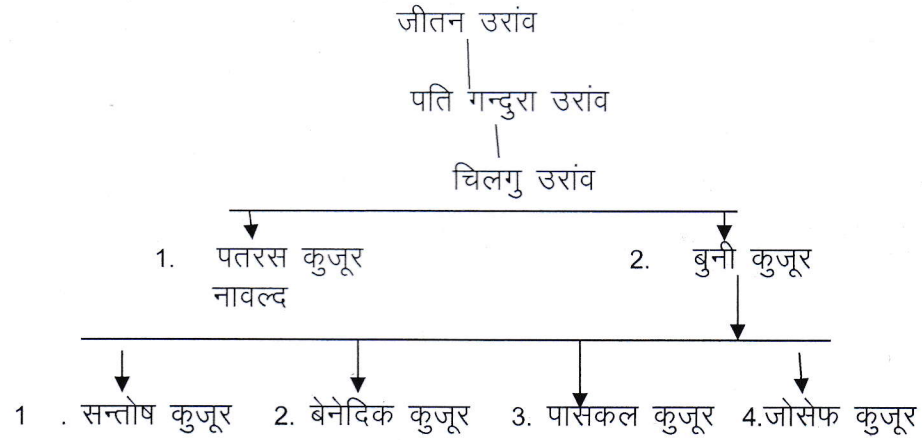

उपरोक्त खाता नं0–8 प्लॉट नं0–159, 161, 162, 218 एवं 229 कुल रकबा 5.58 डी0 भूमि को खतियानी रैयत बन्धु महतो वगैरह के द्वारा प्रथम पक्ष के दादा चिलगु उरांव पिता गन्दुरा उरांव को दि0 11.05.1931 में सादा हुकुमनामा बना दिया गया है।जीतन कुमारी के नाम से जमीनदारी रसीद कटते आ रहा था अब चिलगु उरांव के नाम से जमीनदारी रसीद कटता रहा। चिलगु उरांव के मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी प्रथम पक्ष के लोगों का विवादित जमीन में शांति पूर्वक दखलकर चले आ रहे है।

विवादित जमीन के खेतों पर धान की गयी थी और टांडों पर उरद मडुवा की खेती प्रथम पक्ष के द्वारा होता रहा है। प्रक्षम पक्ष के पुर्वजों को 5.58 डी0 के अलावे अलग से 0.02 डी0 जमीन दिया गया था जिसका खाता नं0–8 प्लॉट नं0– 312 है।

वर्तमान में द्वितीय पक्षों की संख्या अधिक होने के कारण प्रथम पक्षों को परेशान कर रहे है। जबकि दान दिया गया जमीन पर प्रथम पक्ष करीद 91 वर्षों से दखलकार है इसलिए प्रथम पक्षों का रैयती हक प्राप्त हो जाता है बहुकुमनामा वर्ष 11.05.1931 ईश्वी है। विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष के लोगों का दखल कब्जा नहीं है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सादा हुकुमनामा एवं दखल को देखते हुए विवादित जमीन में प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर करने की कृपा किया जाय।

प्रथम पक्ष के जामा कागजात निम्न हैः–

1. रजिस्ट्री पट्टा का छायाप्रति।
2. जमीन रसीद का छायाप्रति।
3. खतियान का छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित जवाब नहीं दिया गया हैः–

उक्त वाद में द्वितीय पक्ष की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए है किसी प्रकार का लिखित जवाब एवं भूमि संबंधी कागजता दाखिल नहीं किये है।

उक्त वाद में पक्षकारो के द्वारा दाखिल जवाब, पुलिस जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद दं0प्र0सं0 की धारा 144 उक्त भूमि मौजा जामडांग के खाता सं0 –8 कुल प्लॉट सं0–5 रकबा 5.58 एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त वादगत भूमि स्वत्व से संबंधित है। वाद की कारवाई में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना की सूचना थाना बसिया एवं अन्य स्रोत से अप्राप्त है। अतः धारा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.12.06 12:31:26 +05:30
Location: 192.168.1.3